बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

[illegible] 4/बा2- 105/2001 1444 / पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम 5, 1861) की [illegible] की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार पुलिस [illegible] III के परिशिष्ट 103 की कंडिका 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करती है :-

"3. आरक्षण : बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, [illegible] जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम -3, 1992) [illegible] यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे :

परन्तु आरक्षियों के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम 50 प्रतिशत को बिहार [illegible] प्रशिक्षित गृह रक्षकों से भरा जा सकेगा, जिसके लिए विहित उपरोक्त प्रतिशत की अधिसीमा [illegible] राज्य सरकार प्रतिशत नियत कर सकेगी । गृह रक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी [illegible] अधिनियम 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।

राज्य सरकार गृह रक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए निर्धारित उम्र सीमा में [illegible] छूट दे सकेगी :

परन्तु उम्र सीमा में छूट की अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु विहित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक नहीं होगी ।

राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित प्रतिशत के अनुसार योग्य गृह रक्षक उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता की दशा में गृह (विशेष) विभाग की पूर्व अनुमति से अवशेष रिक्तियों को उसी कोटि के गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा । "

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6-2-4

(डा0 गौतम गोस्वामी)
सरकार के अपर सचिव
गृह (आरक्षी) विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या सं0 4/बा2- 105/2001 ________ / पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना - 7 को राजपत्र के असाधारण अंक में [illegible] प्रेषित ।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह(आरक्षी) विभाग को [illegible] की कृपा की जाय ।

6-2-4

(डा0 गौतम गोस्वामी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या [illegible] 105/2001 1444 / पटना, दिनांक:- 06-02-2004

प्रतिलिपि [illegible] महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार [illegible] राज्य सरकार के आदेशानुसार संशोधित अंश को प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जाय ।

6-2-4

(डा0 गौतम गोस्वामी)
सरकार के अपर सचिव

प्रेषक,

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

डॉ गौतम गोस्वामी
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिदेशक,
बिहार,पटना ।

पटना,दिनांक-7 फरवरी,2004

विषयः आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों का कोटिवार प्रतिशत एवं उम्र सीमा के निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0-13-1-206-2001-516/पी-2, दिनांक-6.2.2004 के प्रसंग में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना सं0-1444 दिनांक-6.2.2004 द्वारा प्रशिक्षित गृह रक्षकों को आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों का प्रतिशत एवं उम्र सीमा में छूट दिये जाने के लिये राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है ।

2 तदनुसार राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित निर्णय लिया है:-

(1) बिहार पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस में आरक्षी की उपलब्ध कुल रिक्तियों की 50% रिक्तियॉ गृह रक्षकों के लिये आरक्षित रहेगी ।

(2) बिहार पुलिस/बिहार सैन्य पुलिस में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा को गृह रक्षक उम्मीदवारों के लिए निम्नांकित रूप से निर्धारित किया जाता है

(क)	सामान्य वर्ग	35 (पैंतीस) वर्ष
(ख)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 (सैंतिस) वर्ष
(ग)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा)	38 (अड़तीस) वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति/जन जाति के पुरूष एवं महिला वर्ग	- 40 (चालिस) वर्ष

विश्वासभाजन,

(डा0 गौतम गोस्वामी)
सरकार के अपर सचिव
गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार ।